न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (पाली)

पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 66/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 27.05.2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022/144

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्रवणसिंह पुत्र श्री भॅवरसिंह, उम्र 27 वर्ष, जाति रावत निवासी बना की नाडी कालबकलां, तहसील रायपुर		1. गाजीसिंह पुत्र श्री भॅवरसिंह, 2. धुली पत्नि श्री भॅवरसिंह, उम्र—वयस्क, 3. रोडसिंह पुत्र श्री भॅवरसिंह, उम्र—वयस्क निवासी बना की नाडी कालबकलां, तहसील रायपुर 4. तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण
2 श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 12.07.2022

वादीगण की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् घोषणा वादपत्र धारा 88 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि ग्राम देवनगर पटवार हल्का कालबकलां, भू. अभि. नि. क्षैत्र कोटकिराणा, तहसील रायपुर जिला पाली राज. की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के नया खाता सं. 59 खसरा सं. 978 रक्बा 0.5747 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल खसरा सं. 979 रक्बा 0.3804 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 983 रक्बा 0.9470 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, नया खाता सं. 114 खसरा सं. 844 रक्बा 0.0324 हैक्टेयर, किस्म गै. मु. बेरा, खाता सं. 21 खसरा सं. 949 रक्बा 2.8895 है. किस्म बारानी दोयम, खाता सं. 115 खसरा सं. 836 रक्बा 0.1214 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम, खसरा सं. 841 रक्बा 0.2428 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम खसरा सं. 843 रक्बा 0.1214 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम, खसरा सं. 925 रक्बा 0.2185 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम, खसरा सं 927. रक्बा 0. 0647 हैक्टेयर, किस्म चाही दोयम, खसरा सं. 928 रक्बा 0.2023 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम, खसरा सं. 930 रक्बा 0. 1376 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम, खाता सं. 116 खसरा सं. 837 रक्बा 0.0890 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम, ग्राम रामदेवनगर पटवार हल्का कालबकलां, भू. अभि. नि. क्षैत्र कोटकिराणा, तहसील रायपुर जिला पाली राज. की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के नया खाता सं. 31 खसरा सं. 103 रक्बा 2.1448 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम, ग्राम कालब कलां पटवार हल्का कालबकलां, भू. अभि. नि. क्षैत्र कोटकिराणा, तहसील रायपुर जिला पाली राज. की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के नया खाता सं. 356 खसरा सं. 233 रक्बा 0.3480 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खाता सं. 358 खसरा सं. 230 रक्बा 0.3642 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा सं. 231 रक्बा 0.1619 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा सं. 234 रक्बा 0. 0081 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बेरा, खाता सं. 355 खसरा सं. 26 रक्बा 0.0405 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा सं. 37 रक्बा 0.1457 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा सं. 38 रक्बा 0.1781 हैक्टेयर किस्म

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

चाही सोयम, खसरा सं. 39 रक्बा 0.1376 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, भुमि आई हुई है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वाद पत्र मे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा तथा वादग्रस्त आराजी की सवत् 2058–2061 व चालु जमाबंदी वाद पत्र के साथ पेश है जिसे वाद पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त खातेदारी जमीन मे वादी का हक व हिस्सा आता है, तथा वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है वादी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सही दर्ज नही है। राजस्व रेकर्ड मे सवाईसिंह पुत्र भॅवरसिंह दर्ज रेकर्ड है जबकि वादी का सही नाम श्रवणसिंह पुत्र श्री भॅवरसिंह है। वादी के पिता का देहान्त दादा के फौत के नामान्तरण से पुर्व हो गया था जिस कारण दादा व पिता का फौतदेगी एक साथ भरा गयाा। इसलिए दादा दौलसिंह पुत्र श्री जैतसिंह के फोत होने पर तत्कालीन हल्का पटवारी ने फातेदगी नामान्तरण करते समय वादी का बोलता नाम सवाईसिंह पुत्र श्री भॅवरसिंह के नाम से इन्द्राज कर दिया गया। जबकि वादी का सही नाम श्रवणसिंह पुत्र भॅवरसिंह है परन्तु छोटे गांव मे जन्म लेने व बडे होने पर गांव के निवासीयों ने लाड से श्रवणसिंह पुत्र भॅवरसिंह के स्थान पर सवाईसिंह पुत्र श्री भॅवरसिंह पुकारते थे, जिस कारण से राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण के समय श्रवणसिंह पुत्र भॅवरसिंह के स्थान पर सवाईसिंह पुत्र श्री भॅवरसिंह नाम दर्ज हो गया, जबकि वादी का सही नाम श्रवणसिंह पुत्र भॅवरसिंह है, वादी के परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, विद्यालय के दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, मुल निवास प्रमाण पत्र मे श्रवणसिंह पुत्र भॅवरसिंह दर्ज है। जिस कारण नामान्तकरण श्रवणसिंह पुत्र भॅवरसिंह के नाम से भरा जाना चाहिये था, लेकिन राजस्व रेकर्ड मे लिपीकिय भुल से व गलत सुचना मिलने के कारण नामान्तरण भरते समय भुल व गलती से सवाईसिंह पुत्र श्री भॅवरसिंह कर दिया है। जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता भॅवरसिंह के सवाईसिंह नाम का कोई पुत्र या विधिक वारिशान नही है। सवाईसिंह पुत्र श्री भॅवरसिंह एवं श्रवणसिंह पुत्र भॅवरसिंह दोंनों नाम एक ही व्यक्ति के है। इसलिए विवादित भुमि मे दर्ज सवाईसिंह पुत्र भॅवरसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह पुत्र भॅवरसिंह दर्ज करवाने हेतु उक्त वाद श्रीमान न्यायलय मे पेश है। वादी को दिनांक 14–05–2022 को प्रधानमंत्री फसल योजना मे अपना नाम दर्ज करवाने हेतु जमाबन्दी लेने पर से ज्ञात हुआ कि विवादित भुमि की जमाबंदी मे वादी का नाम गलत दर्ज रेकर्ड है तब वादी ने पटवारी हल्का महोदय से सम्पर्क किया, तथा नाम संसोधन करवाने का निवेदन किया, तो उन्होने न्यायलय कि शरण में जाकर वहा वाद पत्र पेश कर आदेश लाकर देने का कहने पर एवं वाद पत्र के अलावा अन्य कोई साधन नहीं होने का बताने पर यह वाद श्रीमान के न्यायलय में वाद पत्र पेश किया जा रहा है, अतः वादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने नाम सवाईसिंह पुत्र भॅवरसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह पुत्र भॅवरसिंह संसोधन अपने नाम करवाने का अधिकारी है, इसलिये यह वाद माननीय न्यायलय में प्रस्तुत किया जा रहा है । वादी अपने हक हिस्से पर मोके पर काबिज है, तथा अपने हक हिस्से की जमीन का उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के आज दिन तक करता आ रहा है, तथा वादी ने अपने हक हिस्से की जमीन को उपजाउ बनाया है अगर वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार वादी का नाम गलत इन्द्राज रहता है तो वादी को बैंक से ऋण लेने व सरकार से मिलने वाले कृषि भुमि के फायदे नहीं ने पायेगा जिससें वादी को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा व वादी को अपने हक अधिकार से वंचित होना पडेगा। वादी के पास न्यायालय की शरण मे जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं होने से वादी अपने हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह वाद राजस्व रेकर्ड में दर्ज सवाईसिंह पुत्र भॅवरसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह पुत्र भॅवरसिंह करवाकर अपने नाम की घोषणा करवाने हेतु माननीय न्यायलय में पेश कर रहा हैं। दिनांक 14–05–2022 को प्रधानमंत्री फसल योजना मे अपना नाम दर्ज करवाने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

जमाबन्दी लेने पर से वादी स्वयं का नाम गलत दर्ज रेकर्ड कि जानकारी होने व पटवारी महोदय से सम्पर्क करने पर पटवारी महोदय द्वारा राजस्व रेकर्ड मे सुधारा करवाने हेतु न्यायलय मे जाने के कारण बमुकाम कालबकलां पटवार हल्का कालबंकलां में पैदा होता है, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार का होने के वाद अन्दर मियाद पेश है। वाद पर निर्धारित न्याय शुल्क पेश है। वाद पत्र के साथ शपथ पत्र पेश है जिसे वाद का एक भाग माना जावे।

डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह आदेश दिया जावे कि वाद के पद संख्या–1 में वर्णित उपरोक्त वादग्रस्त आराजी ग्राम देवनगर पटवार हल्का कालबकलां, भू. अभि. नि. क्षैत्र कोटकिराणा, तहसील रायपुर जिला पाली राज. की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के नया खाता सं. 59 खसरा सं. 978 रक्बा 0.5747 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल खसरा सं. 979 रक्बा 0.3804 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 983 रक्बा 0.9470 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल, नया खाता सं. 114 खसरा सं. 844 रक्बा 0.0324 हैक्टेयर, किस्म गै. मु. बेरा, खाता सं. 21 खसरा सं. 949 रक्बा 2.8899 है. किस्म बारानी दोयम, खाता सं. 115 खसरा सं. 836 रक्बा 0.1214 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम, खसरा सं. 841 रक्बा 0.2428 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम खसरा सं. 843 रक्बा 0.1214 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम, खसरा सं. 925 रक्बा 0.2185 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम, खसरा सं 927. रक्बा 0. 0647 हैक्टेयर, किस्म चाही दोयम, खसरा सं. 928 रक्बा 0.2023 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम, खसरा सं. 930 रक्बा 0.1376 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम, खाता सं. 116 खसरा सं. 837 रक्बा 0.0890 हैक्टेयर, किस्म चाही प्रथम, ग्राम रामदेवनगर पटवार हल्का कालबकलां, भू. अभि. नि. क्षैत्र कोटकिराणा, तहसील रायपुर जिला पाली राज. की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के नया खाता सं. 31 खसरा सं. 103 रक्बा 2.1448 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम, ग्राम कालब कलां पटवार हल्का कालबकलां, भू. अभि. नि. क्षैत्र कोटकिराणा, तहसील रायपुर जिला पाली राज. की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के नया खाता सं. 356 खसरा सं. 233 रक्बा 0.3480 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खाता सं. 358 खसरा सं. 230 रक्बा 0.3642 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा सं. 231 रक्बा 0.1619 हैक्टेयर किस्म चाही चारम, खसरा सं. 234 रक्बा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बेरा, खाता सं. 355 खसरा सं. 26 रक्बा 0.0405 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा सं. 37 रक्बा 0.1457 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा सं. 38 रक्बा 0.1781 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा सं. 39 रक्बा 0.1376 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम,, के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम जरिये पिता के फौतेदगी नामान्तरण द्वारा सहवण व गलत सुचना से सवाईसिंह पुत्र भॅवरसिंह के नाम से भरा गया जो जमाबन्दी मे भी गलत नाम दर्ज कर दिया था, इसलिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज सवाईसिंह पुत्र भॅवरसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह पुत्र भॅवरसिंह संसोधन करवाने का अधिकारी है अतः श्रीमान वादी का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज सवाईसिंह पुत्र भॅवरसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह पुत्र भॅवरसिंह करने का आदेश करवाकर वादी को श्रवणसिंह पुत्र भॅवरसिंह के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। जिससे वादी बैंक से ऋण लेने एवं काश्तकारी जमीन से मिलने वाले अन्य लाभ ले सके। उक्त भुमि का कही बेचान हस्तान्तरण एवं रहन नही किया हुआ है। अगर भाविष्य मे यह गलत साबित होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मुझ वादी की रहेगी।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर वकील श्री भूपेन्द्र सैन द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिशल किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जबावदावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें वादी की श्रवणसिंह को लाड

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

प्यार से सवाईसिंह कहने से पिताजी/दादाजी भंवरसिंह/ दौलसिंह जी फौतदगी नामान्तरण में प्यार का नाम, बोलता नाम सवाईसिंह दर्ज कर दिया जिसे सुधारा जाना आवश्यक हैं। इसलिए विवादित भूमि में दर्ज सवाईसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह किया जाता है। तो हमें कोई उजर एतराज नहीं हैं। सवाई सिंह एवं श्रवणसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। हम प्रतिवादीगण सवाईसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह दर्ज किये जाने पर सहमति प्रदान करते हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता ने वादपत्र पर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक कर शा.मि. किया गया हैं। प्रस्तुत राजीनामा में सवाई सिंह एवं श्रवणसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। श्रवणसिंह को ही प्यार से सवाई सिंह कहकर बुलाते थे। श्रवणसिंह जब छोटा था तब उसके पिता का देहान्त हो गया जिस कारण उनका फौतेदगी नामान्तरण भरते समय बोलते नाम से नामान्तरण भर दिया गया इसलिए विवादित भूमि में दर्ज नाम सवाईसिंह पुत्र भंवरसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह पुत्र भंवरसिंह किये जाने हेतु राजीनामा करते हैं।

उभय पक्षीय वकुलाय से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पर बहस सुनी गई। बहस के दौरान दिये गये तर्को एंव पत्रावली पर पेश दस्तावेजो का गहनता पूर्वक अवलोकन एंव मनन करने पर सरहद मौजा देवनगर पटवार हल्का कालबकलां के खाता संख्या 59,114,21,115,116 तथा सरहद मौजा रामदेवनगर पटवार हल्का कालबकलां के खाता संख्या 31 एवं सरहद मौजा कालबकलां पटवार हल्का कालबकलां के खाता संख्या 356, 358, 355 में दर्ज खातेदार सवाईसिंह पुत्र भंवरसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा देवनगर पटवार हल्का कालबकलां के खाता संख्या 59,114,21,115,116 तथा सरहद मौजा रामदेवनगर पटवार हल्का कालबकलां के खाता संख्या 31 एवं सरहद मौजा कालबकलां पटवार हल्का कालबकलां के खाता संख्या 356, 358, 355 की जमाबंदी संवत् 2074–2077 में दर्ज खातेदार सवाईसिंह पुत्र भंवरसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह पुत्र भंवरसिंह नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

बईजलास :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. श्रवणसिंह पुत्र श्री भॅवरसिंह, उम्र 27 वर्ष, जाति रावत निवासी बना की नाडी कालबकलां, तहसील रायपुर		1. गाजीसिंह पुत्र श्री भॅवरसिंह, 2. धुली पत्नि श्री भॅवरसिंह, उम्र–वयस्क, 3. रोडसिंह पुत्र श्री भॅवरसिंह, उम्र–वयस्क निवासी बना की नाडी कालबकलां, तहसील रायपुर 4. तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि.

राजस्व वाद 66/2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव श्री भूपेन्द्र सैन प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा देवनगर पटवार हल्का कालबकलां के खाता संख्या 59,114,21,115,116 तथा सरहद मौजा रामदेवनगर पटवार हल्का कालबकलां के खाता संख्या 31 एवं सरहद मौजा कालबकलां पटवार हल्का कालबकलां के खाता संख्या 356, 358, 355 की जमाबंदी संवत् 2074–2077 में दर्ज खातेदार सवाईसिंह पुत्र भंवरसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह पुत्र भंवरसिंह नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

नीज....................×................मुबलिक...............×.............बाबत्............×............ खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×.........................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.07.2022 को जारी किया गया।

(राजेश मेवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	75	00	मीजान			
मीजान		79	00			02	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।